राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 405/2023

मनीष बेनिवाल —अपीलार्थी

बनाम

1. प्रमुख शासन सचिव, कार्मिक विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. संयुक्त सचिव, कार्मिक विभाग, जयपुर।

—प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 18.01.2023
आदेश की दिनांक : 01.02.2023

उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री अशोक बंसल, अभिभाषक

समक्षः– अनन्त भंडारी, सदस्य (न्यायिक)
चेतन राम देवड़ा, सदस्य

आदेश

मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपीलीय अधिकरण) अधिनियम–1976 की धारा–4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।

इस अपील में विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी द्वारा बहस के दौरान निवेदन किया गया कि अपीलार्थी मनीष बेनिवाल, मुख्य अभियंता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, जयपुर में कार्यरत है। अपीलार्थी के विरूद्ध भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो में प्रकरण दर्ज (अनुलग्नक–2) होने के कारण आदेश दिनांक 04.10.2022 (अनुलग्नक–3) के द्वारा निलम्बित किया जाकर मुख्यालय कार्यालय अतिरिक्त मुख्य सचिव, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग जयपुर में किया गया। प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 04.10.2022 (अनुलग्नक–3) की अनुपालना में अपीलार्थी ने दिनांक 19.12.2022 (अनुलग्नक–4) को अपनी उपस्थिति अतिरिक्त मुख्य सचिव, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी राजस्थान, जयपुर को प्रस्तुत की। प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 03.01.2023 (अनुलग्नक–1) के द्वारा श्री मनीष बेनिवाल का मुख्यालय कार्यालय अतिरिक्त मुख्य सचिव, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग जयपुर के स्थान पर अतिरिक्त मुख्य अभियंता, जन स्वास्थय अभियांत्रिकी विभाग, कोटा किया गया है जो नियम विरूद्ध है, क्योंकि अपीलार्थी मुख्य अभियंता है और निलंबन काल में अपीलार्थी का मुख्यालय उनके कनिष्ठ अधिकारी के कार्यालय में अतिरिक्त मुख्य अभियंता, जन स्वास्थय अभियांत्रिकी कोटा किया गया है अतः आलोच्य आदेश को अपास्त करने हेतु निवेदन किया गया है, साथ ही निवेदन किया गया कि अपीलार्थी की मां केंसर की बिमारी से पीडित है। इस आधार पर भी मुख्यालय पूर्ववत कार्यालय अतिरिक्त मुख्य सचिव, जन स्वास्थ्य

अभियांत्रिकी विभाग जयपुर रखा जावे एवं आलोच्य आदेश दिनांक 03.01.2023 (अनुलग्नक–1) को अपास्त किया जावे।

हमने विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी की बहस सुनी एवं पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया।

प्रकरण में उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर अपीलार्थी के विरूद्ध भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो द्वारा अपराध सख्या 388/2022 दिनांक 27.09.2022 को दर्ज किया गया है जो पत्रावली में (अनुलग्नक–2) पर उपलब्ध है और इस प्रकरण के कारण अपीलार्थी को आदेश दिनांक 04.10.2022 (अनुलग्नक–3) द्वारा निलंबित किया जाकर मुख्यालय कार्यालय अतिरिक्त मुख्य सचिव, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग जयपुर किया गया था। जिससे आलोच्य आदेश दिनांक 03.01.2023 (अनुलग्नक–1) द्वारा मुख्यालय परिवर्तन कर अतिरिक्त मुख्य अभियंता, जन स्वास्थय अभियांत्रिकी कोटा किया गया है। आलोच्य आदेश से स्पष्ट है कि अपीलार्थी का आलोच्य आदेश मुख्यालय परिवर्तन प्रशासनिक आवश्यकताओं को दृष्टिगत रखते हुए किया गया है।

हमने अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा दिये गये तर्कों पर विचार किया। सेवाविधि का सुस्थापित सिद्वांत है कि यह नियोक्ता के विवेक एवं परिस्थितियों पर निर्भर करता है कि वह निलंबन काल में कार्मिक का मुख्यालय कहां रखा जावे। इसका प्रयोजन निलंबन काल में उपस्थिति दर्ज कराना है इसे कनिष्ठ अधिकारी के नीचे पदस्थापन नहीं माना जा सकता। आलोच्य आदेश में दुर्भावना की स्थिति परिलक्षित नहीं होती है। इस तथ्य को दृष्टिगत रखते हुए आलोच्य आदेश में हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं है

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील बलहीन एवं सारहीन होने के कारण मय स्थगन प्रार्थना पत्र के खारिज की जाती है।

आदेश आज दिनांक 01.02.2023 को हमारे द्वारा लिखाया जाकर मुद्रांकित एवं हस्ताक्षरित कर उद्घोषित किया गया।

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य (न्यायिक)